हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण की तृतीय बोर्ड बैठक दिनांक 10-02-2000 का कार्यवृत्त

दिनांक 10-02-2000 को आयुक्त, मेरठ मण्डल एवं अध्यक्ष, हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया:-

1- श्री एन0ए0 विश्वनाथन	अध्यक्ष/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
2- श्री अतुल कुमार गुप्ता	सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3- श्रीमती एल0एम0 वास	उपाध्यक्ष, हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड
4- श्री इन्द्रजीत वर्मा	जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
5- श्री एम0पी0 अनेजा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।
6- श्री ऊषाकान्त गुप्ता	संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
7- श्री जी0एस0 कहलो	अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 (मुख्य अभियन्ता के प्रतिनिधि)
8- श्री एस0के0 जमान	मुख्य समन्वय नियोजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सैल, गाजियाबाद (आयुक्त, एन0सी0आर0उ0प्र0 उपक्षेत्र के प्रतिनिधि)

अन्य उपस्थिति:-

श्री डी0पी0 सिंह	सचिव, हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण।

निम्न आमंत्रित अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे:-

1- श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग	विशेषाधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
2- श्री सी0बी0 सिंह	वित्त नियन्त्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
3- श्री वेद मित्तल	मुख्य वास्तुविद एंव नगर नियोजक, गा0वि0प्रा0
4- श्री अनिल भटनागर	इकनोमिक प्लानर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सैल, गा0

मद सं0	विषय	निर्णय
1-	द्वितीय बोर्ड बैठक दिनांक 31-10-98 की कार्यवाही की पुष्टि।	द्वितीय बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2-	द्वितीय बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
3-	विकास प्राधिकरण हेतु वर्ष 1999-2000 का आय-व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव।	वर्ष 1999-2000 हेतु रु0 757.202 लाख का बजट स्वीकृत किया गया। वास्तविक व्यय से प्रस्तावित व्यय अधिक दिखाये जाने का कारण यह है कि कुछ धनराशि इस वित्तीय वर्ष में ऋण के रुप में प्राप्त होगी जिसे इसी

	वित्तीय वर्ष में भूमि अधिग्रहण की मद में खर्च किया जायेगा।
4- हापुड के लिये बनायी गयी महायोजना।	हापुड पुनरीक्षित महायोजना प्रारुप के क्रम में दिनांक 31-10-98 को सम्पन्न हुई बोर्ड बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एन0सी0आर0 प्लानिंग सैल द्वारा महायोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दिनांक 31-10-98 की बैठक में महायोजना में प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स को अधिक लचीला बनाने हेतु अनुमन्य भू-प्रयोग की श्रेणियों को कम एवं संगठित करने के निर्देश दिये गये थे। बोर्ड के समक्ष नये जोनिंग रेगुलेशन्स प्रस्तुत किये गये जिनमें भू-प्रयोगों की श्रेणियों को 10 से घटाकर 8 कर दिया गया तथा कई यूज-जोन को संगठित कर एक बनाया गया जिसके फलस्वरुप यूज-जोन्स की कुल उप-श्रेणी 24 से घटाकर 14 हो गयी — उदाहरणार्थ नगरीय निर्मित क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित श्रेणियों को एक ही श्रेणी में संकलित किया गया है। इसी प्रकार नगरीय व्यापारिक केन्द्र एवं क्षेत्रीय व्यापारिक केन्द्रों को एक श्रेणी में किया गया। बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि प्रस्तुत जोनिंग रेगुलेशन्स शासन द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार किये गये मोडल जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर संशोधित किये गये हैं।
	उपरोक्त के अतिरिक्त महायोजना प्रारुप पर आमंत्रित आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई हुई। शासन द्वारा गठित उप-समिति की संस्तुति जिसमें कुछ मुख्य संस्तुति निम्न प्रकार थी, को जोनिंग रेगुलेशन्स के साथ अनुमोदित किया गया।
	1- प्रीत विहार आवासीय योजना के स्थल का भू-प्रयोग आवासीय सहकार्यशाला परिवर्तित कर प्राधिकरण की योजना के अनुरुप आवासीय कर दिये जायें।
	2- प्रस्तावित चमडा मंडी के चारों ओर 15 मीटर चौडी हरित पट्टी का प्राविधान किया जाये।

	3- दिल्ली रोड को मेरठ रोड से जोड़ने वाली एवं मेरठ रोड को गढ रोड से जोड़ने वाले महायोजना मार्गों के दोनों ओर प्रस्तावित हरित पट्टी को 60 मीटर से घटाकर 25 मीटर कर दिया जाये।
	4- बुलन्दशहर रोड पर एक और सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान/सीवेज फार्म का प्राविधान किया जाये।
	उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदन के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा सेंचुरी लेमिनेशन के प्रकरण पर भी विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उक्त उद्योग काफी वर्षों से हापुड में कार्यरत है तथा वर्तमान भू-उपयोग सर्वेक्षण में भी इकाई प्रदर्शित की गयी है। अतः सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इकाईयों को यथास्थान बने रहने दिया जाये। यह उद्योग 100 करोड टर्नओवर देकर राज्य के औद्योगिकरण को बढावा दे रहा है। अतः इसके प्रसार के लिये यदि भूमि प्राधिकरण द्वारा दी जाती है तो ऐसी दशा में औद्योगिक प्रयोग हेतु स्पोट जोन कर दिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी. बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि महायोजना प्रारुप में उक्त संशोधन कर महायोजना को अन्तिम रुप देकर शासन को प्रेषित कर दिये जायें।
5- हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित 5 योजनाओ की प्रगति से बोर्ड को अवगत कराना।	समय अभाव के कारण विचार हेतु प्रस्तुत नहीं किये जा सके। प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।
6- प्राधिकरण की तीन योजनाओ आनन्द विहार, बस अड्डा एवं ट्रान्सपोर्टनगर की बोर्ड बैठक में स्वीकृति की अवधि बढाना।	--तदैव--
7- हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत लिये जा रहे विकास दरों की स्वीकृति।	--तदैव--

8- द्वितीय बोर्ड बैठक के मद सं0-11 पर विकास क्षेत्र घोषित होने से पूर्व नगरीय निर्मित क्षेत्र के निर्माण पर सुदृढीकरण शुल्क के विषय में।	--तदैव--
9- मोदीनगर रोड पर सचिव, शिक्षा भारती द्वारा प्रस्तावित इन्टर कालेज के निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	--तदैव--
10- नेशनल हाईवे के दोनों ओर स्थित औद्योगिक इकाईयों के क्षेत्र को औद्योगिक प्रयोग हेतु स्पोट जोनिगं करने के सम्बन्ध में।	इस मद में नेशनल हाईवे-24 के दोनों ओर स्थित औद्योगिक इकाईयों के क्षेत्र को स्पोट जोन करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बोर्ड को यह अवगत कराया गया कि इस क्षेत्र में काफी लम्बे समय से बडी संख्या में औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हैं जिसमें कुछ इकाईयां विकास क्षेत्र/विनियमित क्षेत्र अधिसूचित किये जाने से पूर्व से ही कार्यरत हैं। पुराने औद्योगिक विकास के अनुरुप ही कोई औद्योगिक इकाईयों भी इस क्षेत्र में विकसित हो रही हैं। प्रदेश में उद्योग को बढावा देने की नीति को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक विकास को बढावा देना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त सभी इकाईयों का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाये तथा प्रचलित नियमों, प्राविधानों एवं विधिक प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए सभी औद्योगिक इकाईयों को सम्मिलित करते हुए विस्तृत प्लान तैयार किया जाये जिसमें औद्योगिक इकाईयों हेतु आवश्यक समस्त सुविधाओ एंव उपयोगिताओ का समुचित प्राविधान किया जाये। पूरे क्षेत्र का नियोजन इस प्रकार किया जाये जिसमें नेशनल हाईवे पर यातायात के अबाध्य प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके। नेशनल हाईवे पर औद्योगिक इकाईयों को सीधी एक्सेज न लिया जाये। उक्त विस्तृत प्लान शासन/ एन0सी0आर0 प्लानिगं बोर्ड से नियमानुसार अनुमोदित कराया जाये। जिलाधिकारी द्वारा इस क्षेत्र में नई विकसित हो रही तीन औद्योगिक इकाईयों के मानचित्र स्वीकृत

कराने का सुझाव दिया गया। ये तीनों प्रकरण उनके समक्ष उद्योग बन्धु में प्रस्तुत किये गये थे। औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जो प्रस्ताव उद्योग बन्धु के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं और उन औद्योगिक इकाईयों के मानचित्र सभी नियमों एवं प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत किये जा सकते हैं क्योंकि वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जबकि पूर्णतः क्षेत्र औद्योगिक विकसित हो चुका है और इन मानचित्रों को स्वीकृत कराने में कोई यथास्थिति में परिवर्तन नही होगा क्योंकि यह इकाईयां एक काम्पेक्ट क्षेत्र में ही है।

अन्य प्रस्ताव समयाभाव के कारण प्रस्तुत नही किये जा सके।

(एल0एम0 [illegible])
उपाध्यक्ष
हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण,
हापुड

अनुमोदित,

(एन0ए0 विश्वनाथन)
अध्यक्ष, हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण/
आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ